राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1636 /2020

1. उमरदीन पुत्र श्री फजरू खान
2. फजरी खान पत्नी श्री फजरू खान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिक और संवन विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 16.11.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.10.2020 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके तहत अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के तहत नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि माननीय अधिकरण ने अपील संख्या 1769/2012 में यह निर्णित नहीं किया है। अधिकरण ने अपने निर्णय में मात्र पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य पेंशनरी परिलाभों का हकदार होना माना है, जबकि आलौच्य आदेश अधिकरण के निर्णय दिनांक 02.11.2017 के विपरीत है, अधिकरण ने अपीलार्थी के पिता फजरू खान को उनकी मृत्यु के समय सेवा में माना है और इस प्रकार उसके परिजन सेवानिवृत्ति पर देय परिलाभ के हकदार है (अनुलग्नक–1)। अपीलार्थी संख्या–1 के पिता और अपीलार्थी संख्या–2 के पति उप वन संरक्षक, अलवर के अधीन पशु रक्षक के रूप में कार्यरत थे और उन्हें दिनांक 21.07.2000 के आदेश के द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था और बाद में दिनांक 07.06.2003 को उक्त फजरू खान की मृत्यु हो गई थी। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने स्वर्गीय फजरू खान के आश्रित होने के नाते आदेश दिनांक 21.07.2000 के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि उक्त श्री फजरू खान को दिनांक 18.01.1986 को पशु रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 21.07.2000

को 15 साल की सेवा पूरी कर ली है एवं राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के नियम 50 की आवश्यकता के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं की है। पूर्व प्रस्तुत अपील में यह भी निवेदन किया गया था फजरू खान के पक्ष में 28.10.1999 से 31.07.2000 तक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत था। अपील में यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को गलत रूप से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर दिया गया क्योंकि उसके हस्ताक्षर खाली कागज पर ले लिए गए थे लेकिन फजरू खान की मृत्यु हो जाने पर उसे सेवा में मानते हुए कोई लाभ नहीं दिया गया। नियम 1996 के नियम 50(1) के तहत, यदि कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और निर्धारित आयु पूरी कर ली है तो सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, लेकिन डीसीएफ अलवर ने दिनांक 21.07.2000 को गलत आदेश पारित कर दिया, जिसके तहत उक्त फजरू खान को हटा दिया गया। 1996 के नियमों के तहत गलत तरीके से सेवानिवृत्त किया गया और इस कारण माननीय अधिकरण ने यह निर्णिय किया कि अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 07.06.2003 के समय सेवा में माना जाना चाहिए और उक्त फजरू खान की पत्नी 1996 के नियमों के अनुसार सभी परिलाभ प्राप्त करने की हकदार थी। निर्णय में दोषी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने हेतु भी आदेशित किया है, जिन्होंने फजरू खान की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर फजरू खान के आश्रितों को भी सभी लाभ दिए जाने हेतु आदेशित किया गया (अनुलग्नक–2)। जब अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 07.06.2003 को सेवा के दौरान होना माना गया है, तो वह 1996 के आश्रित नियमों के तहत सभी लाभ पाने का हकदार है और अधिकरण द्वारा पारित फैसले को वन विभाग द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी और पीपीओ भी दिनांक 23.04.2018 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया और उक्त आदेश में उत्तरदाताओं ने स्वयं स्वीकार किया कि पिता के अपीलार्थी फजरू खान की सेवा के दौरान 7.6.2003 को मृत्यु हो गई। दिनांक 23.4.2018 के आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 पर है। अपीलार्थी सं. 2 ने आश्रित नियुक्ति नियम के तहत नियुक्ति के लिए 24.10.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया और पुनः अपीलार्थी ने दिनांक 19.02.2020 को आवेदन दिनांक 11.02.2019 के साथ माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उक्त आवेदन को आदेश दिनांक 28.10.2020 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। दिनांक 28.10.2020 के आदेश की प्रति पहले से ही अनुलग्नक–1 पर है। दिनांक 19.2.2020 के आवेदन की एक प्रति 11.2.2019 के साथ अनुलग्नक–4 पर है कि जब एक बार अपीलार्थी के पिता अपीलार्थी को 07.06.2003 को सेवा में माना गया था, अपीलार्थी मृत सरकारी कर्मचारी

का पुत्र होने के नाते आश्रित नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्ति पाने का हकदार है। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने केवल इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि अधिकरण द्वारा अपने आदेश में इस विषय में कोई अंकन नहीं है एवं अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार कर दिया है। प्रत्यर्थी विभाग का यह कृत्य पूर्णतः अवैध एवं नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध है। अतः आदेश दिनांक 28.10.2020 को अपास्त कर अपीलार्थी के पिता उनकी मृत्यु के समय सेवा में होना घोषित किया जाकर अपीलार्थी संख्या–1 को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्ति एवं अन्य पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे। साथ ही अपीलार्थी के पिता की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने से उसके वेतन निर्धारण कर संशोधित पारिवारिक पेंशन अपीलार्थी संख्या–2 को स्वीकार की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या–1 की माताजी द्वारा पूर्व में दायर अपील संख्या 1769 / 2012 में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकारण, जयपुर से पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन लाभ–परिलाभ दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया था तथा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा उन्हें उक्त आशय का अनुतोष प्रदान करते हुए दिनांक 02.11.2017 को आदेश पारित किये गये थे। उक्त आदेश निर्णय की पालना में तत्समय भुगतान आदि किया जा चुका है। अपीलार्थी के पिता की राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु नहीं हुई है। इस आधार पर अपीलार्थी अनुकम्पा नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है। अपीलार्थी की माताजी द्वारा पूर्व में दायर की गई अपील में पारित निर्णय दिनांक 02.07.2011 की पालना में अपीलार्थी की माताजी को पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन लाभ परिलाभ दिये जा चुके हैं। इस आधार पर अपीलार्थी अपने मृतक पिता श्री फजरू खान के आश्रित के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है। पूर्व में दायर की गई अपील संख्या 1769/12 में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2017 की पालना में अपीलार्थी की माताजी को पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन लाभ परिलाभ दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अपीलार्थी के मृतक पिता के संबंध में जारी किये गये आदेशों पर सुनवाई के पश्चात माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने समस्त कानूनी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आदेश दिनांक 02.11.2017 पारित किये थे तथा अपीलार्थी की माताजी द्वारा चाहे गये अनुतोष प्रतिवादीगणों के विभाग से दिलवाये जाने के आदेश पारित किये थे उक्त निर्णय दिनांक 02.11.2017 की पालना की जा चुकी है। इसमें अतिरिक्त याचि अनुकम्पा नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 03 के द्वारा जारी दिनांक 23.04.2018 को उप वन संरक्षक, अलवर के कार्यालय आदेश दिनांक

26.05.2018 के द्वारा संशोधित करते हुए उक्त संशोधित आदेश की प्रति अपीलार्थी की माताजी श्रीमती फजरी देवी पत्नि स्व० श्री फजरू खा पता–अमीर नगर, पोस्ट हमीराका तहसील तिजारा जिला अलवर एवं सभी संबंधित को प्रेषित की गई। आदेश दिनांक 26.05.2018 की छायाप्रति संलग्न प्रदर्श–2 है। अपीलार्थी के द्वारा प्रतिवादी सं0 03 के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2000 प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में कार्यालय पत्रांक 9987 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 02.11.2017 के अनुसार एवं मृतक श्री फजरू खां के आश्रित के रूप में नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2017 में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को पारिवारिक पेंशन एवं अन्य पेंशनरी लाभों का हकदार मानते हुए निर्णय पारित किया है, इसके अतिरिक्त अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। पत्र दिनांक 28.10.2020 नियमानुसार सही है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.11.2017 में स्पष्ट रूप से पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन लाभ दिये जाने के आदेश प्रसारित किये है। इसके अतिरिक्त मृतक फजरू खां के राज्य सेवा में होने अथवा नहीं होने के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 02.11.2017 के संबंध में दायर अवमानना याचिका भी अधिकरण द्वारा Drop की जा चुकी है।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी ने अपने मृतक पिता के स्थान पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति का अनुतोष चाहा है। प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.10.2000 (अनुलग्नक–1) के विरूद्व प्रस्तुत की है। उक्त आलौच्य पत्र में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के रूप में अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने से इंकार किया गया है। वस्तुत अपीलार्थी के पिता फजरू खान जो वन विभाग में कैटल गार्ड के पद पर पदस्थापित था, के स्वैच्छिक सेवानिवृति के प्रकरण में अधिकरण में दायर अपील सं. 1769/2012 श्रीमती फजरी खान बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य में अपील स्वीकार कर निम्न आदेश पारित किया गया थाः–

'' (9) इस प्रकरण में हमारा अभिमत हैं कि जिस अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.07.2000 के द्वारा अनियमित रूप से स्वेच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की है, उनकी जिम्मेदारी तय कर राज्य सरकार पर अनियमित रूप से सृजित दायित्व की राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाये। हमारा यह भी अभिमत है कि यह प्रकरण

उचित कार्यवाही हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाये।

(10) उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी को उक्त पैरा 8 के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य पेंशनरी परिलाभों की हकदार हैं।''

इस आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग ने प्रकरण में आदेश दिनांक 23.04.2018 पारित कर निम्न आदेश दिया है:–

'' अतः राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर में दायर अपील संख्या 1769/2012 हुए निर्णय दिनांक 02.11.2017 की पालना में तत्काल प्रभाव से श्री फजरू खां कैटलगार्ड से संबंधित इस कार्यालय आदेश दिनांक 21.07.2000 एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 31.07.2000 एव आदेश दिनांक 22.05.2001 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा श्री फजरू खां कैटलगार्ड दिनांक 01.08.2000 से निरन्तर राज्य सेवा में (कार्यरत) कर्तव्य पर मानते हुए इन्हें नियमानुसार देय सभी लाभ–परिलाभ दिये जाने के आदेश किये जाते है। इसके अतिरिक्त श्री फजरू खॉ कैटलगार्ड की मृत्यु दिनांक 04.06.2003 को होने के फलस्वरूप इन्हे दिनांक 04.06.2003 बाद दोपहर से राज्य सेवा से सेवामुक्त किया जाता है। इनके विरुद्ध इस कार्यालय में आज दिनांक तक कोई सी.सी.ए. 16 एवं 17 में जांच विचाराधीन नहीं है। श्री फजरू खाँ कैटलगार्ड की विधवा पत्नी श्रमती फजरी देवी को मृत्यु दिनांक 04.06.2003 के पश्चात दिनांक 05.06.2003 से नियमानुसार पारिवरिक पेंशन लाभ परिलाभ दिलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।''

इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 26.05.2018 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 23.04.2018 को निम्नानुसार संशोधित किया:–

''अतः इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या 2340–50 दिनांक 23.04.18 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण राजस्थान जयपुर में दायर अपील संख्या 1769/2012 में हुए निर्णय दिनांक 02.11.17 की पलना में तत्काल प्रभाव से श्री फजरू खा कैटलगार्ड से सम्बंधित इस कार्यालय के आदेश दिनांक 21.07.2000 द्वारा दी गयी स्वेच्छिक सेवानिवृति दिनांक 31.07.2000 से सम्बंधित आदेश एव क्षेत्रिय वन अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 31.07.2000 मान्य समझे जावेंगे तथा इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.05.2001 तत्काल प्रभाव से निरस्त माने जावेंगे। तथा श्री फजरू खा कैटल गार्ड को दिनांक 01.08.2000 से पेंशन लाभ – परिलाभ दिए जाने के आदेश किये जाते है एवं श्री फजरू खा कैटल गार्ड की मृत्यु होने के बाद से दिनांक 04.06.2003 को श्रीमती फजरी देवी को नियमानुसार

परिवारिक पेंशन लाभ – परिलाभ दिए जाने सम्बन्धी आदेश प्रसारित किये जाते है श्री फजरू खा कैटल गार्ड के विरुद्ध इस कार्यालय में आज दिनांक तक कोई सी.सी.ए 16 एवं 17 में जांच विचाराधीन नहीं है।''

इससे यह स्पष्ट है कि मृतक राजकीय कर्मचारी श्री फजरू खां की पत्नी को पेंशन परिलाभ स्वीकार किए जा चुके है। स्वीकृत पेंशन में क्या संशोधित वांछित है, इस बाबत कोई स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि अधिकरण के अपील संख्या 1769/2012 में पारित निर्णय की पालना हेतु दायर अवमानना याचिका में अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग की गई अनुपालना के आधार पर अवमानना याचिका को खारिज कर कार्यवाही Drop की है।

हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति का अनुतोष भी चाहा है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधिकरण में राज्य कर्मियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के निराकरण का क्षेत्राधिकार निहित है। किसी व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार अधिकरण को प्राप्त नहीं है। The Rajasthan Civil Services (Service Matters Appellant Tribunals) Act 1976 को धारा 2 में "Government Servant" एवं "Service matter" परिभाषित है। अधिकरण में परिभाषित राजकीय कार्मिकों के सेवा मामलों का श्रवणाधिकार प्राप्त है। "Service matter" में नियुक्ति शामिल नहीं है। अतः अधिकरण प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के तहत नियुक्ति प्रदान करने संबंधी मामले का विचारण करने में सक्षम नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील उपर्युक्त विवेचन के दृष्टिगत सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य